

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री सुरेशचन्द्र वनाम
किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर
पत्रावली संख्या : 29/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 30.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपंसाकार उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी द्वारा जवाब पेश नहीं किया। अतः जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षी की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी अपनी सीमा के अन्दर पुख्ता कोट नहीं बना पा रहा है जिससे प्रार्थी सीमांकन कराना चाहता है। अतः प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

-: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा हीता पटवार हल्का हीता, तहसील कानोड हाल तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 1003 की आराजी न. 4269, 4270, 4271, 4272 किता 4 रकबा 1.0800 है, भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्रदान करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

